ई–मेल
संख्या– 181422 /ई-64110 /2023

प्रेषक,

आनंद बर्द्धन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमांऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–6 देहरादूनः दिनांक 11 जनवरी, 2024।

विषय– उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन की धनराशि का दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य पे मैट्रिक्स के आधार पर पुनरीक्षण।

महोदय/महोदया,

कृपया, उपर्युक्त विषयक वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 290/XXVII(7)50(16)/2016, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमानों का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण किया गया है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन के निमित्त दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन मैट्रिक्स के आधार पर उत्तराखण्ड सरकारी सेवकों हेतु अधोलिखित तालिकानुसार सामूहिक बीमा आच्छादन की धनराशि, मासिक अभिदान की दर, बीमा निधि एवं बचत निधि की पुनरीक्षित दरों को लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्रमांक	पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य पे मैट्रिक्स	मासिक अभिदान की दर	बीमा निधि	बचत निधि	बीमा आच्छादन की धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	वेतन लेवल–5 तक (अपुनरीक्षित ग्रेड वेतन	रू0 350	रू0 175	रू0 175	रू0 5,00,000/–

	रू0 2800 तक)				
2.	वेतन लेवल–5 से वेतन लेवल–10 तक (अपुनरीक्षित ग्रेड वेतन रू0 2801 से ग्रेड वेतन 5400 तक)	रू0 700	रू0 350	रू0 350	रू0 10,00,000/–
3.	वेतन लेवल–10 से अग्रेत्तर वेतन लेवल (अपुनरीक्षित ग्रेड वेतन रू0 5401 से अग्रेत्तर ग्रेड वेतन)	रू0 1400	रू0 700	रू0 700	रू0 20,00,000/–

2– उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त तालिका में अंकित पुनरीक्षित वेतनमानों की संरचना में अनुमन्य पे मैट्रिक्स के अनुरूप मासिक अभिदान की दरों एवं बीमा आच्छादन को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन लागू किया जायेगा:–

1. उक्तानुसार पुनरीक्षित दर से मासिक अंशदान की कटौती जनवरी, 2024 हेतु देय वेतन से लागू होगी।
2. पूर्व में निस्तारित किसी प्रकरण को इस शासनादेश के प्रिप्रेक्ष्य में पुनर्जीवित नहीं किया जायेगा।
3. वेतनमानों की संरचना का उक्त वर्गीकरण मात्र सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत कटौती की जानी वाली धनराशि तथा उसके विरूद्ध देय आच्छादन तक ही सीमित है तथा इसका सेवा संवर्गों के वर्गीकरण से कोई संबंध नहीं है।
4. उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के संबंध में पूर्व शासनादेश, इस शासनादेश के प्रभावी होने की तिथि से उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

Signed by Anand Bardhan
Date: 11-01-2024 11:16:29
(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं तिथि तदैव।</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।

3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
7. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी/ऑडिट, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. इरला चेक अनुभाग, सचिवालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Ahmed Iqbal
Date: 11-01-2024 12:39:31

(डॉ0 अहमद इकबाल),
अपर सचिव।